न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 45/2019
वाद–पत्र दायरी दिनांक : 10/06/2019
निर्णय दिनांक : 15/7/19

1. नन्दलाल पुत्र घीसा, जाति जाट, निवासी पुरोहितों की ढाणी, जसुपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. मंगलचन्द पुत्र घीसा, जाति जाट, निवासी पुरोहितों की ढाणी, जसुपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

............वादीगण

बनाम

1. घीसाराम पुत्र बींजा, जाति जाट, निवासी पुरोहितों की ढाणी, जसुपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. सीतादेवी पुत्री घीसा पत्नी प्रधान, जाति जाट, निवासी पुरोहितों की ढाणी, जसुपुरा, तहसील दूदू हाल निवासी अठमोरियों की ढाणी, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज0।
3. तहसीलदार, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत
श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
श्री राजेन्द्र गुर्जर
श्री महेन्द्र सिंह नाथावत
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 15/7/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादग्रत आराजी खतौनी संख्या 33 के आराजी खसरार नम्बर 197 रकबा 0.7600

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.9100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 201 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.1000 हैक्टेयर 219 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 1.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.1000 हक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.5700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खसरा नम्ब्र 432 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.1700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436 0.6800 हैक्टेयर कुल किता 26 कुल रकबा 11.2800 हैक्टेयर भुमि वाके ग्राम जस्सुपुरा तहसील दुदु जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चला आ रहा है जिसमें वादी सख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी सख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा है जो वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूशी मुश्तर्का आराजीयात रही है जिस पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है विवादित आराजीयात वादीगण के स्व0 दादा बींजा पुत्र अर्जुन की खातेदारी की आराजीयात रही है इस प्रकार विवादित आराजीयात वादीगण की पैतृक मुश्तेर्का मौरूसी आराजीयात रही है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजीयात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा है वादीगण का विवादित आराजीयात में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बाई हिस्सा है जिस पर वे शांतिपुर्वक पक्षकारान हिस्से अनुसार काश्त है। विवादग्रस्त आराजी का मौके पर विधिवत बंटवारा नही हो रखा है तथा प्रतिवादी सख्या 1 जो कि वादीगण के पिता है दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर विवादित आराजीयात में वादीगण को उनके हक व हिस्से की आराजीयात से महरूम रखते हुये सम्पुर्ण आराजी का बैचान करने पर आमदा है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 का कोई अधिकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अभी हाल ही में दिनांक 29.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दीगर व्यक्ति वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर आये तथा प्रतिवादी संख्याा 1 वादग्रस्त आराजीयात पर इन दीगर व्यक्तियों को दिखा रहे थे, जब वादीगण ने इसका कारण पुछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी की वादग्रस्त आराजी को वह उक्त दीगर व्यक्तियेा को बैचान करेंगें तथा वादीगण को उनके हिस्से व कब्जे काश्त से बेदखल करेगे। जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने बाबत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वाद पत्र संख्या 1 में वर्णित खतौनी संख्या 33 के आराजी खसरार नम्बर 197 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0. 9100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 201 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0. 1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.1000 हैक्ब्टेयर 219 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 1.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.1000 हवैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.5700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खसरा नम्ब्र 432 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.1700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436 0.6800 हैक्टेयर कुल किता 26 कुल रकबा 11.2800 हैक्टेयर भुमि वाके ग्राम जस्सुपुरा तहसील दुदु जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में वादी सख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 का 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इस आशय की तहरीर तहसीलदार दुदु को भिजवाई जावे।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वाद–पत्र के वर्णित मद नम्बर 1 की आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न स्वंय करें, न अन्य से करावें न विवादित अरालीयात से बेदखल करे, न आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

बिना तकासमा किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल, विक्रयदि करें, तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी।

दिनाक 20/06/2019 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 24/06/2019 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री राजेन्द्र गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित वकालतनामा व इकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। वकील वादीगण साक्ष्य पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस में सुनी गयी।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात असल जमाबन्दी खतौनी संख्या 33, मिलान क्षैत्रफल, नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2029 तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैं। मुताबिक पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 के अनुसार विवादित आराजी का पर्चा बींजा पुत्र अर्जुन के नाम से आना पाया जाता है, जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हैं। बींजा पुत्र अर्जुन के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजीयात जरिये विरासत उसके पुत्र अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुयी है, इस प्रकार विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होना साबित होती है, चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पैतृक आराजी में उसके सभी वारिशान का बाई बर्थ (जन्मजात) हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात में भी कानूनन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नियमानुसार हक व हिस्सा बनता है, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताई हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खतौनी संख्या 33 के आराजी खसरा नम्बर 197, 200, 201, 205, 206, 219, 221, 232, 233,

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

235, 236, 237, 239, 342, 361, 362, 366, 367, 379, 393, 432, 433, 434, 435, 436 कुल किता 26 कुल रकबा 11.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम जसुपुरा तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0 में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/07/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Judi/Civil
Part IV-II

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D-I)

अन्तिम डिक्री

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुकाम दूदू

इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

1. नन्दलाल पुत्र घीसा जाट नि० जसुपुरा
2. मंगलचन्द पुत्र घीसा जाट नि० जसुपुरा

बनाम 1. घीसा राम डा० बीजां जाट
2. सीतादेवी D/o घीसा w/o प्रधान
3. तहसीलदार दूदू

दावा बावत घोषणा व स्था० निषेध

मुकदमा सं. 45/2015 सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्रसिंह खंगारोत RAS

व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई व श्री राजेन्द्र गुर्जर RAS

(मिनजानिब मुहालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि)

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आ० खसरों के आ० खं०न० 197, 200, 201, 205, 206, 219, 221, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 242, 361, 362, 366, 367, 379, 393, 432, 433, 434, 435, 436 कुल किता-26 कुल रकबा 11.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम जसुपुरा तह० दूदू जिला जयपुर राज्य में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज आ० में वादी सं० 1 को 1/4 हिस्से का, वादी सं० 2 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी सं० 1 का 1/4 हिस्से का प्रतिवादी सं० 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार

नाम .... मुद्दाअलेह .... बावत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद्व शरह

कास्तकार घोषित किया जाता है। .... फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयानी तक .... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 07-2019 को जारी की गई

दस्तखत (हस्ताक्षर)

ओहदा उपखण्ड अधिकारी दूदू

मुद्दई	रूपये	पै.	महयलह	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीनाम -			स्टाम्प वकालतनामा -		
स्टाम्प वकालतनामा -			स्टाम्प हाजरी -		
स्टाम्प वहज सबूत -			मेहनतनामा वकील पर -		
मेहनतनामा वकील -			खर्चा गवाहान -		
खर्चा गवाहान -			फीस कमिश्नर -		
फीस कमिश्नर -			बावत इजराय हुक्मनामा -		
बावत इजराय हुक्मनामा -			मुतफरिक -		
मुतफरिक -					
मीलान -			मीलान -		

नोट : इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरिके न का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner